न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू.	तारीख फैसला
32/2024	16.4.2024	21-11-2025

1. जगन पुत्र भौरी लाल,
2. कमली देवी पत्नी श्रीकिशन,
3. लोकेश मीना पुत्र श्रीकिशन एवं
4. रेखा पुत्री श्रीकिशन

सभी जाति मीना, निवासी दूजई भांवरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास,
2. अमरती पत्नी भरत लाल,
3. एरन्ता पुत्री लोहड्याराम,
4. कैलाश पुत्र किशोर,
5. किशोरी लाल पुत्र सावत्या,
6. चेतराम मीना पुत्र लोहड्याराम,
7. चावली देवी पुत्री मिसिरया
8. चिरंजी पुत्र रूगना,
9. ठण्डी पुत्र गोकलराम,
10. तेजराम मीना पुत्र लोहड्याराम,
11. जगनी देवी पत्नी मिसिरया
12. पप्पू पुत्र बदरी
13. प्यारे लाल पुत्र किशोरी,

सभी जाति मीना, निवासी दूजई भांवरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

14. प्रेमदेवी पत्नी स्व. भजन,

15. बत्ती लाल पुत्र श्रीचंद,

16. बत्ती लाल पुत्र हण्डू,

17. बनवारी लाल पुत्र भजन,

18. बीना पुत्री जगदीश प्रसाद,

19. भरत लाल पुत्र किशोरी,

20. भरतो देवी पुत्री भजन,

21. भूर्या पुत्र हरचंदा,

22. भुवनेश चंद पुत्र जगदीश प्रसाद

23. मुकेश पुत्र बदरी,

24. मुथरी पत्नी बदरी,

25. मुनीराज पुत्र भजन,

26. मींठा लाल पुत्र बदरी,

27. रेखराम मीना पुत्र लोहड्याराम

28. रमेश पुत्र बदरी,

29. रामप्रसाद पुत्र मिसिर्या,

30. रामखिलाड़ी पुत्र श्रीचंद,

31. रोशन्ता देवी पुत्री लोहड्याराम,

Signature Not Verified

32. ठण्डी पुत्र गोकलराम,

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

33. शिवनारायण पुत्र [illegible]

34. सुन्दर पत्नी श्रीचंद,

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

35. सुमन प्रसाद पत्नी स्व.
जगदीश,

36. सुशीला देवी पुत्री मिसिरया,

37. पप्पू पुत्र बदरी,

38. मुकेश पुत्र बदरी,

39. मुथरी पत्नी बदरी,

40. मीठा लाल पुत्र बदरी,

41. रमेश पुत्र बदरी,

42. रुमाली पत्नी कैलाश

प्रतिवादी संख्या 2 से 42 प्रोफॉर्मा पक्षकारान प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी
एवं इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय दिनांकः 21-11-2025

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम बाढ़ दूजई, पटवार हल्का भांवरा, तहसील बामनवास में वादीगण के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 100 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 102 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 103 रकवा 0.08 हेक्टेयर, 110 रकवा 0.15 हेक्टेयर, 111 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 112 रकवा 0.25 हेक्टेयर, 1[illegible] रकवा 0.18 हेक्टेयर, 123 रकवा 0.07 हेक्टेयर, 124 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 125 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 126 रकवा 0.07 हेक्टेयर, 127 रकवा 0.11

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

हेक्टेयर, 128 रकबा 0.10 हेक्टेयर, 129 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 130 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 99 रकबा 0.06 हेक्टेयर (कुल किता 16, कुल रकबा 1.64 हेक्टेयर) एवं खसरा नम्बर 13 रकबा 0.43 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 120 रकबा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 120/166 रकबा 0.07 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 139 रकबा 0.10 हेक्टेयर गैर मुमकिन चाह ग्राम बाढ़ दूजई में स्थित हैं, जिन्हें वादीगण बहैसियत खातेदार काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं । वादीगण के अलावा उक्त आराजियात् से किसी अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है । आगे कथन किया गया है कि उक्त आराजियात् में दर्ज खातेदार वादीगण के पिता के स्थान पर बाबा का नाम मोहरपाल दर्ज कर दिया गया, जबकि वादीगण के पिता का नाम भौरी लाल है । राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण की सहखातेदारी की भूमि में वादीगण के पिता के स्थान पर बाबा के नाम से चली आ रही हैं । उक्त संपूर्ण भूमि पर वादीगण लगातार शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त कर बहैसियत खातेदार चले आ रहे हैं तथा आज भी मौके पर संपूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का ही है । वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में हो रही गलती की [illegible] में कोई जानकारी नहीं थी, वादीगण ने दिनांक 28.2.2022 को के.सी.सी. बनवाने हेतु पटवारी हल्का से कहा तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

Priyanka
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

बताने पर इस बारे में जानकारी हुई, जिस पर वादीगण ने साबिक जमाबंदी व हाल जमाबंदी की नकल प्राप्त की व दिनांक 14.3.2024 को तहसीलदार बामनवास से उक्त संशोधन करने हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार ने संशोधन करने से इन्कार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने बाबत कहा, इसलिए उनके द्वारा यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है । आगे कथन किया गया है कि वादीगण के असल दस्तावेज – राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड, टी.सी., अंकतालिका, ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, साबिक जमाबंदी व दूसरे हल्के की राजस्व जमाबंदी – में भी वादीगण के पिता का नाम भौरी लाल दर्ज है । इसलिए वादीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती करवाने के विधिक अधिकारी हैं । वादीगण के सारे रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम भौरी लाल दर्ज है, उक्त नाम में अंतर की बजह से वादीगण को बैंक से ऋण लेने में परेशानी आ रही है । राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम बहैसियत सहखातेदार चला आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 ता 42 का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज होने [illegible] प्रतिवादी संयोजित किया गया है, वादीगण ने अपने [illegible] के नाम को संशोधित कराने के लिए घोषणा का दावा [illegible]या है । उक्त आधारों पर दावा पेश करते हुए वादीगण द्वारा अनुतोष में निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

गया है कि वादीगण की सहखातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 100 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 102 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 103 रकवा 0.08 हेक्टेयर, 110 रकवा 0.15 हेक्टेयर, 111 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 112 रकवा 0.25 हेक्टेयर, 113 रकवा 0.18 हेक्टेयर, 123 रकवा 0.07 हेक्टेयर, 124 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 125 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 126 रकवा 0.07 हेक्टेयर, 127 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 128 रकवा 0.10 हेक्टेयर, 129 रकवा 0.09 हेक्टेयर, 130 रकवा 0.08 हेक्टेयर, 99 रकवा 0.06 हेक्टेयर (कुल किता 16, कुल रकवा 1.64 हेक्टेयर) एवं खसरा नम्बर 13 रकवा 0.43 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 120 रकवा 0.12 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 120/166 रकवा 0.07 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकवा 0.09 हेक्टेयर, 139 रकवा 0.10 हेक्टेयर गैर मुमकिन चाह ग्राम बाढ़ दूजई के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार मोहरपाल का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर भौरी लाल (जगन पुत्र भौरी लाल, कमली देवी पत्नी श्रीकिशन, लोकेश मीना पुत्र श्रीकिशन एवं रेखा पुत्री श्रीकिशन) दर्ज किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 2 ता 42 के विरुद्ध वादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

पेश किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 42 की तलबी बंद की गई, प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आशय के दावे का सम्मन प्रेषित किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अपना जवाब व रिपोर्ट पेश की गई ।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक कायम किए गए:–

1. आया वादीगण अपने बाबा मोहरपाल पुत्र बक्स्या जाति मीना का नाम हजफ कर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित कराकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने के अधिकारी हैं ?

2. अनुतोष ?

वादीगण को अपनी ओर से साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, जिसमें वादी संख्या 1 ने अपने आपको बतौर पी. ड. 1 परीक्षित कराकर साक्ष्य समाप्त की तथा प्रलेखीय साक्ष्य में 7 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का [illegible]नता से अध्ययन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली यह तथ्य स्पष्ट है कि

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में भी स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि मृतक मोहरपाल पुत्र बक्सा के निधन के उपरान्त उसकी विरासत् का जो नामान्तकरण खुला है, वह भौरी लाल के दोनों पुत्र जगन व श्रीकिशन के नाम खुला है, परन्तु सहवन से जगन व श्रीकिशन के पिता का नाम भौरी लाल के स्थान पर उनके पिता के नाम में उनके बाबा मोहरपाल का नाम अंकित हो गया, जबकि वास्तविकता में जगन व श्रीकिशन दोनों भौरी लाल की संतानें हैं । इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना उचित बताते हुए अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया है । यहां इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 स्व. श्रीकिशन के जायज वारिसान हैं । चूंकि श्रीकिशन का निधन हो चुका है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में श्रीकिशन पुत्र मोहरपाल अंकित है, इसलिए श्रीकिशन के निधन के उपरान्त उसकी भूमि का नामान्तकरण की कार्यवाही श्रीकिशन के विधिक वारिसान वादी संख्या 1, 2 व 4 के हक में किया जाना उचित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा दावे में किए गए कथनों पर व उपलब्ध राजस्व अभिलेखों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता । संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से वादीगण का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया किया जाकर घोषित किया जाता है कि जगन व श्रीकिशन के पिता का नाम भौरी लाल है, इसी अनुसार आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या 23, 44, 4, 9, 3, स्थित ग्राम बाढ़ दूजई में दर्ज जगन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर जगन पुत्र भौरी लाल दर्ज किया जावे तथा श्रीकिशन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर कमली देवी पत्नी श्रीकिशन, लोकेश मीना पुत्र श्रीकिशन एवं रेखा पुत्री श्रीकिशन दर्ज किया जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

1. जगन पुत्र भौरी लाल,
2. कमली देवी पत्नी श्रीकिशन,
3. लोकेश मीना पुत्र श्रीकिशन एवं
4. रेखा पुत्री श्रीकिशन

सभी जाति मीना, निवासी दूजई भांवरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास,
2. अमरती पत्नी भरत लाल,
3. एरन्ता पुत्री लोहड्याराम,
4. कैलाश पुत्र किशोर,
5. किशोरी लाल पुत्र सावत्या,
6. चेतराम मीना पुत्र लोहड्याराम,
7. चावली देवी पुत्री मिसिरया
8. चिरंजी पुत्र रूगना,
9. ठण्डी पुत्र गोकलराम,
10. तेजराम मीना पुत्र लोहड्याराम,
11. जगनी देवी पत्नी मिसिरया
12. पप्पू पुत्र बदरी,
13. प्यारे लाल पुत्र किशोरी,

सभी जाति मीना, निवासी दूजई भांवरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

14. प्रेमदेवी पत्नी स्व. भजन,

15. बत्ती लाल पुत्र श्रीचंद,

16. बत्ती लाल पुत्र हण्डू,

17. बनवारी लाल पुत्र भजन,

18. बीना पुत्री जगदीश प्रसाद,

19. भरत लाल पुत्र किशोरी,

20. भरतो देवी पुत्री भजन,

21. भूरूया पुत्र हरचंदा,

22. भुवनेश चंद पुत्र जगदीश प्रसाद

23. मुकेश पुत्र बदरी,

24. मुथरी पत्नी बदरी,

25. मुनीराज पुत्र भजन,

26. मीठा लाल पुत्र बदरी,

27. रेखराम मीना पुत्र लोहड्याराम

28. रमेश पुत्र बदरी,

29. रामप्रसाद पुत्र मिसिर्‍या,

30. रामखिलाड़ी पुत्र श्रीचंद,

31. रोशन्ता देवी पुत्री लोहड्याराम,

32. ठण्डी पुत्र गोकलराम,

33. शिवनारायण पुत्र जौहरी लाल,

34. सुन्दर पत्नी श्रीचंद,

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

35. सुमन प्रसाद पत्नी स्व. जगदीश,
36. सुशीला देवी पुत्री मिसिर्या,
37. पप्पू पुत्र बदरी,
38. मुकेश पुत्र बदरी,
39. मुथरी पुत्र बदरी,
40. मीठा लाल पुत्र बदरी,
41. रमेश पुत्र बदरी,
42. रूमाली पत्नी कैलाश

प्रतिवादी संख्या 2 से 42 प्रोफॉर्मा पक्षकारान   प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी
एवं इन्द्राज दुरस्ती

राजस्व वाद संख्या 32/2024

वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आज दिनांक 21-11-2025 को मुझ पीठासीन अधिकारी प्रियंका कडेला, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि जगन व श्रीकिशन के पिता का नाम भौरी लाल है, इसी अनुसार आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या 23, 44, 4, 9, 3, [illegible]यत [illegible]म बाढ दुजई में दर्ज जगन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर जगन पुत्र भौरी लाल दर्ज किया जावे तथा श्रीकिशन पुत्र मोहरपाल के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
वामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

श्रीकिशन पुत्र भौरी लाल दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 21-11- 2025 को जारी की गई।

(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी,
बामनवास

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बवत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.03 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner